

Serial No. 8352

Deed No. 7840



1  
Govt. of Bihar  
District Registry Office ,Patna  
Summary of Endorsement

This document was presented for registration on **27/05/2022** by **Manoj Kumar**.  
A stamp duty of Rs. **112500/-** and other fees of Rs. **26525/-** has been paid in it.  
The document was found admissible. The names, photographs and fingerprints and signatures of the  
executants, and their identifier, who have admitted execution before me, are affixed on the reverse page.  
The document has been registered as deed no. **7840** in Book No. **1**, Volume No. **181** on pages from **166** to  
**185** and has been preserved in total **20** pages in C.D. No. **28** / Year **2022**

Date: 27/05/2022

Token No: 8656 /2022

27/5/2022

Signature with Date  
**(Dhananjay Kumar Rao)**  
Registering Officer, Patna

27/5/2022  
Rao  
27/5/2022

इस दस्तावेज की मौजूद हितों एवं  
रखायी ने उनका प्रतिनिधि  
विवरणी के अनुरूप रूप से पाया।


*Manoj Kumar*  
(अमृतनगर महासभा)

SCANNED BY

**उन्नयन मनोबंध**  
**(Development Agreement)**

यह डेवलपमेंट एग्रीमेंट आज दिनांक **27.05.2022** को







(1) श्री मनोज कुमार (2) श्री राजु कुमार एवं (3) श्री सोनु



*in*

27/5/2022 27/5/2022  
27/5/2022 27/5/2022  
27/5/2022 27/5/2022

**District Registry Office, Patna**

Token Number 8656		Reg. Year 2022	Serial Number 8352		Deed Number 7545	
PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring
Claimant	Rohit Kumar (Managing Director)					
Sig.	 27/5/2022					
Claimant	Rupesh Kumar Jha (Managing Director)					
Sig.	 27/5/2022					
Presented By	Manoj Kumar					
Sig.	 27/5/2022					
Executant	Manoj Kumar		<input checked="" type="checkbox"/> Photo	<input checked="" type="checkbox"/> Thumb	<input checked="" type="checkbox"/> Index	<input checked="" type="checkbox"/> Middle
Sig.						<input checked="" type="checkbox"/> Ring
Executant	Raju Kumar					
Sig.	 27/5/2022					
Executant	Sonu Kumar					
Sig.	 27/5/2022					
Identified By	Mani Shankar Prasad					
Sig.	 27/5/22					



आदेशानुसार प्राप्तपक/क्रेता/विकेता द्वारा दिखाये गये भूमि/संस्करण  
 मीजा/मुख्ला **बैरिया** ... धनावधि 10.12 ... तेजो...  
 उत्तरांश राष्ट्रीय सड़क का दातानीमें इनी चैम्पियन 10.12 की 2022  
 20 अप्रैल 2022 द्वारा लैसेन्स के अनुसार  
 इस जांच किया गया। जांचारात्मा विविध चौड़ी के अनुसार  
 उक्त भूखण्ड पर भूमि/संस्करण 15.00..... वर्गफोट  
 जो अभासी/अभासी प्रकार/मुख्ला/धाखा/सड़क पर  
 पाया गया है।

*Skr  
27/5/22*

कुमार सभी के पिता का नाम स्व. रामजी राय, निवासी ग्राम एवं पोस-बैरिया, गोपालपुर, थाना- सम्पत्तचक, जिला- पटना, राज्य बिहार, नागरिकता- भारतीय। जिन्हे आगे जमीन मालिक के नाम से सम्बोधित किया गया है। (जो शब्दावली प्रसंग के प्रतिकूल होने अथवा हटाये जाने की स्थिति को छोड़कर उनके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक हितबद्ध उत्तराधिकारी को शामिल करेंगे) जिन्हे इसमें प्रथम पक्ष कहा गया है।

मोबाइल नं. 9334369232

एवं

**Mahadev Constech and Services Private Limited**, निबंधित कार्यालय C/O गजेन्द्र झा, फ्लैट नं. 102, न्यु अलकापुरी सुमित अपार्टमेन्ट, गर्दनीबाग, पटना, राज्य- बिहार, जो भारतीय कम्पनीज अधिनियम 1956 ई. के अन्तर्गत संचालित है, जिसका निबंधन संख्या- U45309BR2019PTC040721, द्वारा प्रबंध निदेशक (1) Sri Rupesh Kumar Jha Son of Shri Gajendra Jha, resident of 102, Sumit Apartment, New Alkapuri, Patna Bihar, Indian citizen and Director (2) Sri Rohit Kumar S/O Sri Sachindra Prasad, R/O Sorangpur Devi Asthan Ke Samne, Ram Krishna Nagar, Patna के माध्यम से सम्पादित किया जाता है जिन्हे आगे डेवेलपर/भवन निर्माता/उन्नयनकर्ता/विकासक इत्यादि के नाम से सम्बोधित किया गया है, जिसमें उनके कार्यालय के अधिन्यासी, नामित एवं उत्तराधिकारी इत्यादि सम्मिलित हैं जो इसमें द्वितीय पक्ष के रूप में वर्णित हैं, के बीच सम्पादित हुआ।

मोबाइल नं. 8292597887

यह कि जमीन मालिक मौजा- बैरिया, थाना- सम्पत्तचक, जिला- पटना के थाना नं- 122 (एक सौ बाईस), तौजी बिहार सरकार, खाता नं- 520/521 (पाँच सौ बीस/पाँच सौ एककीस), सर्वे प्लौट नं- 595 (पाँच सौ पनचान्वे) का अंश में एराजी- 4 कट्ठा 16 धुर है, जो 15 डिसमील के समतुल्य है और जो पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर तथा अवर निबंधन कार्यालय फुलवारीशाहीफ, तथा जिला निबंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है जिसका वार्षिक लगान मो. 10 रुपये अलावे सेस बिहार



महादेव कॉन्स्टेच एंड सर्विसेस प्रिलिमिटेड  
राष्ट्रीय उत्तराधिकारी  
रुपेश कुमार झा  
27/5/2022

सरकार को अंचलाधिकारी सम्पत्तचक के माध्यम से जमाबंदी संख्या-3592 पर भुगतान किया जाता है और जिसका प्रचलित आवासीय बाजार मूल्य मो. 56,25,000/- (छपन लाख पचीस हजार) रूपये है पर स्वामी के रूप में स्वत्व धारित करते हुए निर्विवाद रूप से शांतिपूर्वक दखल-कब्जे में है। जिसका पूर्ण विवरण इस विलेख की अनुसूची-I में वर्णित है जो इस विलेख का भाग है।


### संदर्भ

यह कि अनुसूची-I में वर्णित सम्पत्ति जमीन मालिकगण की खतियानी संपत्ति है, जिसे जमीन मालिकगण ने अपने पटिटदारों से आपसी खानगी बंटवारा के माध्यम से प्राप्त किया है और अपने हिस्से में मिली संपत्ति पर जमीन मालिकगण संयुक्त रूप से स्वामी के रूप में निर्विवाद रूप से शांति पूर्वक दखल कब्जे में रहते चले आ रहे हैं। तथा सरकार को लगान भुगतान कर रसीद कटाते चले आ रहे हैं। इस तरह जमीन मालिकगण लेख्य संपत्ति का अन्तरन एवं किसी भी प्रकार का करारनामा इत्यादि करने के लिए सक्षम है।

यह कि विकासक को जमीन मालिक ने अनुसूची-I में वर्णित जमीन के संबंध में यह विश्वास दिलाया कि जमीन हर प्रकार से पाक-साफ एवं स्वत्व, दोष तथा ऋण भार से मुक्त है। यदि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व, दोष या ऋण भार पाया जायेगा तो उसकी जिम्मेवारी जमीन मालिक पर होगी और उसके चलते होने वाले हर्जा-खर्चा तथा क्षति-पूर्ति भुगतान करने का दायित्व जमीन मालिक को रहेगा।

यह कि उपर्युक्त दोनों पक्षों की सहमति से यह निर्णय लिया गया कि अनुसूची-I में वर्णित जमीन पर एक बहु मंजिला इमारत का निर्माण निम्नलिखित शर्तों एवं बंधणों पर किया जाय:-

1. यह कि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की सहमति से यह तय किया कि अनुसूची-I की जमीन पर पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार से प्रस्तावित भवन का नक्शा एवं प्लान स्वीकृत कराकर उसके अनुरूप बहु मंजिला इमारत बनाएंगे।
2. यह कि जमीन मालिक और द्वितीय पक्ष डेवलेपर के बीच इस संबंध में इस विलेख के निष्पादन के पहले से बातचीत चल रही थी और अब डेवलेपर ने अंतिम रूप से यह निर्णय लिया है।



Wardha Consteel Services Pvt. Ltd.  
Rabutka  
27/5/2022

कृष्ण  
लूट  
27/5/2022

माला  
27/5/2022

माला  
27/5/2022

कि वे उक्त सम्पत्ति को उन्नयन के लिए ग्रहण करेंगे और जमीन मालिक को आश्वासन दिया तथा आश्वत किया है कि उक्त सम्पत्ति का उन्नयन करने में किसी भी तरह से जमीन मालिक को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यह भी कि वे जमीन मालिक को किसी दूसरे व्यक्ति के दावे से उन्मुक्त रखते हुए क्षति होने की दशा में इस एकरारनामा के निष्पादन पर क्षतिपूर्ति करेंगे।

3. यह कि उभय पक्ष सहमत हुए कि द्वितीय पक्ष के डेवलपर बचनबद्ध करते हैं कि अनुसूची-I में वर्णित जमीन पर बहु-मंजिला इमारत की संरचना करेंगे।

4. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता ने यह भी तय किया कि भवन के अंतिम रूप से निर्माण के पश्चात सम्पूर्ण शिखर पर terrace का व्यवहार उक्त इमारत के धारक तथा इमारत के स्वामियों द्वारा बनाये गए सदस्य ही करेंगे।

5. यह कि जमीन मालिक एवं भवन निर्माता द्वारा यह भी तय किया गया कि पो.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित निर्माणाधीन हिस्से में जमीन मालिक का 50 प्रतिशत एवं भवन निर्माता का 50 प्रतिशत हिस्सा परम निर्मित क्षेत्र, पार्किंग क्षेत्र, फ्लैट इत्यादि में होगा और जमीन मालिक का 50 प्रतिशत हिस्सा इस विलेख की अनुसूची-III में वर्णन के अनुरूप निर्मित होगा।

6. यह कि डेवलपर ने स्वीकार किया है कि भवन प्रथम कोटि का होगा और उन्नत इमारत में प्रयुक्त सभी सामान बिना मिलावट के और दीर्घ टिकाऊ गुणवत्ता वाले लगाए जायेंगे।

7. यह कि उभय पक्षों के बीच परस्पर घोषणा और प्रतिनिधित्व के द्वारा बातचीत के फलस्वरूप डेवलपर द्वारा उक्त जमीन के उन्नयन के लिए किया गया एकरारनामा शर्तों और बन्धणों के साथ अंकित किया गया।

8. यह कि जमीन मालिक डेवलपर को यह स्वीकृत करते हैं और डेवलपर जमीन मालिक से उक्त जमीन को उन्नत करने का अधिकार स्वीकार करते हैं उन शर्तों और बन्धणों पर जो इस एकरारनामा की अनुसूची-I में वर्णित है।

(Multi Level Construction & Services Pvt. Ltd.)

Rephr.

29/07/2022  
27/06/2022

27/06/2022  
27/06/2022

27/06/2022  
27/06/2022

9. यह कि जमीन मालिक की सहमति और लिखित स्वीकृति से डेवेलपर उक्त जमीन पर बनाए जाने वाली इमारत कम्प्लेक्स का नक्शा, स्वरूप और (elevation) आकृति तैयार करने जिसमें किये जाने वाले कार्य का specification तथा प्रयोग किये जाने वाले सामानों जो प्रथम कोटि के होने चाहिए, के लिये एक वस्तुकार architect की नियुक्ति करेंगे। इस पर होने वाले सभी खर्च और architect को दिये जानेवाला पारिश्रमिक (fees) डेवेलपर द्वारा दिया और वहन किया जायेगा। यह भी तय हुआ कि डेवेलपर उक्त जमीन का ठन्यन कर अधिकतम अनुमान्य एफ-ए-आर सुनिश्चित करेंगे और तदनुसार उन्यन योजना बनायी जाएगी और भवन स्वीकृति प्राधिकार अर्थात् पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार को भेजी जाएगी।

10. यह कि जमीन मालिक यह भी सहमत है कि डेवेलपर उक्त वास्तुकार (architect) द्वारा निर्मित प्लान पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार और कोई अन्य प्राधिकारों अगर हो, को विकासक अपने हस्ताक्षर से अपनी ओर से जमा कर देंगे और भवन प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेंगे। उपर्युक्त कार्य से संबंधित खर्च का भुगतान डेवेलपर करेंगे।

11. यह कि इस मनोबंध के निष्पादन के बाद जमीन मालिक डेवेलपर को उनके कर्मचारियों, अभिकर्ताओं, कारीगरों, अभियंताओं एवं मजदूरों को उक्त सम्पत्ति में प्रवेश करने की अनुमति देंगे, जिससे वे विभिन्न विकास-पूर्व कार्य यथा नक्शा और योजना का निर्माण जैसे कार्य कर सकें। वैसे विकास कार्य की सुविधाओं की अनुमति डेवेलपर द्वारा पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार और अन्य प्राधिकारों से भवन निर्माण योजना की स्वीकृति के बाद दी जाएगी।

12. यह कि प्राकृतिक विपदा और डेवेलपर की शक्ति के नियंत्रण के बाहर के कारणों को छोड़कर जिससे उक्त सम्पत्ति और निर्माण कार्य प्रभावित हो, भवन निर्माण की समय सीमा 3 वर्ष 6 माह की होगी। और उसके बाद कार्य पूर्ण करने का छह महीने का कृपा काल होगा। भवन निर्माण की कुल समय सीमा कृपा काल सहित आज दिनांक 27.05.2022 से मिली जाएगी।



मुक्तिपत्र  
27/5/2022

Wadhwani Construction Services Pvt.  
Rakesh  
Director

मुक्ति  
27/5/2022

मुक्ति  
27/5/2022

मुक्ति  
27/5/2022

मुक्ति  
27/5/2022

13. यह कि मालिक सहमत है और वचनबद्ध है कि वे विहार अपार्टमेन्ट स्वामित्व अधिनियम 2006 की धारा 5 (1) एवं 5 (2) तथा अन्य सभी प्रावधानों एवं नियमों को पालन करेंगे और अधिनियम के अनुरूप भवन निर्माण पूर्ण होने के बाद विकासक/संप्रवर्तक एवं भू-स्वामी अपने-अपने हिस्से के निरपेक्ष स्वामी होंगे तथा वे अपने-अपने हिस्से को पृथक् रूप से बेचने/अन्तरण करने के हकदार होंगे और उसका नियमानुकूल सक्षम निबंधन कायालिय में निबंधन करेंगे जिसमें उक्त अधिनियम एवं नियम का पालन किया जायेगा। विकासक अपने हिस्से का क्षेत्र बंधक रखकर ऋण ले सकेंगे और विक्रय के लिए एकरारनामा करेंगे। जिसमें जमीन मालिक के हिस्से का क्षेत्र सम्मिलित नहीं रहेगा।

14. यह कि उक्त जमीन पर सम्पूर्ण इमारत कम्पलेक्स तथा उन्नयन कार्य पूर्ण होने पर डेवेलपर बिक्री योग्य निर्मित इमारत के प्रमुख क्षेत्र का आनुपातिक आधार पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत सुपुर्द कर देंगे (प्रत्येक कोटि के घरों/फ्लैटों पर अर्थात् वे फ्लैट जो उक्त विकसित और निर्मित इमारत के प्रमुख अंग होंगे जो डेवेलपर या उनके नामित को आनुपातिक रूप से उनको 50 प्रतिशत हिस्सा के भागीदार होंगे, साथ ही साथ इस श्रेणी की तकनीकी जरूरतों का ध्यान में रखते हुए निर्माण प्रथम कोटि का होगा।

नक्शा स्वीकृति के पश्चात् भवन निर्माण होने पर मंजिलों में बढ़ोतरी का संशोधित नक्शा यदि अनुमोदित होता है तो वैसी स्थिति में निर्माण कार्य विकासक द्वारा पूर्ण करने पर उपर्युक्त अंकित अनुपातिक हिस्से के लिए जमीन मालिक भी हकदार होंगे। और उसी अनुपात में क्रेताओं का प्रति फ्लैट अनुपातिक जमीन में हिस्सा बदल जायेगा।

16. यह कि यथा वर्णित "जमीन मालिक का क्षेत्र" पर जमीन मालिक को 50 प्रतिशत का अधिकार होगा जिसका इमारत के पूर्णतया तैयार होने के बाद निर्धारण और स्पष्टीकरण किया जाएगा। किन्तु, फ्लैटों में "जमीन मालिक का क्षेत्र" का निर्धारण आपसी मेल-जोल से होगा तथा सम्मिलित क्षेत्र अर्थात् सीढ़ी घर, रास्ता, पम्प घर, जेनरेटरघर, वाहन क्षेत्र, लिफ्ट स्थान, प्रहरी घर, सम्मिलित शौचालय एवं सम्मिलित (सामुहिक) उपयोग की अन्य चीजें जमीन

27/5/2022  
Rakesh  
Director

27/5/2022  
Rakesh  
Director

27/5/2022  
Rakesh  
Director

27/5/2022  
Rakesh  
Director

मालिक और डेवेलपर होने द्वारा आनुपातिक रूप से उपयोग की जाएंगी।

17. यह कि डेवेलपर को उक्त जमीन के उन्नयन का अधिकार होगा जिसका उन्नयन वे उस पर इमारत/फ्लैट बनाकर, कार पार्किंग स्थान और अन्यान्य tenements के द्वारा जो पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार और/अथवा अन्य संबंधित प्राधिकार से स्वीकृत नक्शा की शर्तों और बंधेजों के अनुसार करेंगे अथवा उक्त उद्देश्य के लिए जमीन मालिक डेवेलपर को जरुरत पड़े तो वैसे सभी कार्य (acts, deeds, matters) को करने के लिए डेवेलपर को अधिकृत करते हैं जिसमें खास बातें निम्नवत हैं :-

A. उक्त जमीन पर संबंधित प्राधिकार के नियमों एवं परिनियमों के अनुसार जमीन मालिक के नाम में प्रस्तावित इमारत की योजना बनाना और स्वीकृति के लिए आवेदन तैयार करना, कानूनी कदमों, वचनबद्धता सम्बन्धी कागजात तैयार करना, हस्ताक्षर करना तथा परियोजना की स्वीकृति के लिए उन्हें जमा करना।

B. इमारत तथा परियोजना के लिए सर्वेयर, इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर और अन्य लोगों की नियुक्त करना।

C. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन करना तथा सिमेट, लोहा और अन्य भवन निर्माण सामग्री के लिए सरकारी कोटा के परमिट के लिए आवेदन करना।

D. किसी भी याचिका (writ) नोटिस या अन्य कानूनी प्रक्रिया प्राप्त करना और जमीन मालिक की ओर से न्यायालय में किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट tribunal या अन्य के समक्ष उपस्थित होना साथ ही किसी न्यायालय सरकारी अधिकारी या tribunal के समक्ष उक्त सम्पत्ति से संबंधित किसी मामले, मुकदमे में उपस्थित होना, बचाव करना, मुकदमा दायर करना, सभी आवश्यक कागजात पेश करना एवं वकालतनामा दायर करना। ये सभी काम डेवेलपर अपने खर्च पर करेंगे।

E. जैसे कहा जा चुका है उक्त जमीन पर भवन बनाना और उसकी बिक्री/ lease पर देने या अन्य प्रकार के आवंटन के लिए



29/6/2022  
27/5/2022

Wadhayani Consultancy & Services Pvt. Ltd.  
Rukmini  
Director

27/5/2022  
27/5/2022

27/5/2022  
27/5/2022  
27/5/2022  
27/5/2022

खरीदारों एवं lease लेनेवालों से विलेख की शर्तों के अनुरूप मनोबंध करना और उक्त इमारत में अपना हिस्सा आंशिक या सम्पूर्ण रूप से एक या अन्य प्रस्तावित सहकारी समितियों को देना।

F. उपर्युक्त कथनानुसार उक्त इमारत एवं फ्लैट आदि को स्वामित्व अथवा अन्य आधार पर डेवेलपर के हिस्से से देना और उसका असिम अथवा बिक्री मूल्य का हिसाब रखना बशर्ते कि ऐसी प्राप्तियाँ सदैव डेवेलपर द्वारा उक्त जमीन के केवल विकास और निर्माण के लिए उपयोग की जाएंगी तथा सदैव इस शर्त के साथ कि डेवेलपर इसकी सुपुर्तगी नहीं करेंगे अथवा निर्मित क्षेत्र में अपना हिस्सा खत्म नहीं करेंगे जब तक कि जमीन मालिक को मिलने वाला सम्पूर्ण निर्मित क्षेत्र पूर्ण रूप से उन्हें सुपुर्द नहीं कर दिया जाता है।

G. इमारत कम्प्लेक्स में फ्लैट/tenements आदि खरीदने वालों को अपने फ्लैट/tenements के एज में आर्थिक संस्थाओं से ऋण लेने के लिए डेवेलपर को इमारत में अपना हिस्सा बंधक रखना।

H. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे अपने हिस्से को सीधे अथवा सहकारी समितियों द्वारा बेचने, आवंटित करें और उनके पक्ष में खरीदारों के नाम विक्रय पत्र निष्पादित करें।

I. जमीन मालिक ने स्वीकार किया है कि यदि डेवेलपर उक्त परियोजना से सटे या उसके आस-पास की जमीन पर कोई दूसरी परियोजना का विस्तार करे तो उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

J. डेवेलपर को यह अधिकार होगा कि वे पूर्वोक्त जमीन का उन्नयन उस पर एक या अनेक भवन, फ्लैट, पार्किंग स्थान और अन्य tenements इमारत के नक्शे के अनुसार एक सम्मिलित नक्शा अथवा अलग-अलग नक्शा बनाकर और अगल-बगल की जमीन लेकर एक योजना अन्तर्गत या खंड-खंड में योजना बनाकर निर्माण करेंगे और हिस्सा अनुसार हिस्से का बंटवारा एवं बिक्रय इत्यादि करेंगे, उन्हें बेचेंगे, आवंटित करेंगे अथवा निरस्त करेंगे जैसी जरूरत हो, वैसी करेंगे, ऐसा अधिकार उन्हें सम्मिलित सभी जमीन पर बने इमारत के लिए होगा जिसे वे जिसे उचित समझें बेचें और

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director  
Rakesh  
Bhandary Constech & Services Pvt. Ltd.

ऐसे प्लैट इकाइयों/ tenements पार्किंग स्थान का मूल्य वसूले और अपने खाते में अपने लिए रखें। ऐसी कार्रवाई के लिए किसी भी जमीन मालिक को आपत्ति का अधिकार नहीं होगा। बंटवारे के अनुरूप एक-दूसरे की जमीन पर बनी ईमारत में भी हिस्सा सम्भावित है, जिसे भी उभय पक्ष स्वीकार करते हैं।

K. पूर्वोक्त जमीन पर प्रस्तावित ईमारत के लिए योजना का संबंधित प्राधिकार के नियमों के अन्तर्गत तैयार कर इसे पटना क्षेत्रीय विकास प्राधिकार/सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वीकृत कराने के लिए आवेदन तथा बचनबद्धताओं को अगर डेवेलपर चाहे तो जमीन मालिक ऐसे सभी आवश्यक योजनाओं, विशिष्टियों, घोषणाओं, शापथ-पत्रों और अन्य कानूनी अथवा statutory कागजातों को पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार अन्य अधिकारियों से स्वीकृत कराने के लिए हस्ताक्षर करने पर सहमत है।

18. यह कि जमीन मालिक घोषणा करते हैं :-

- (i). कि जमीन मालिक को उक्त जमीन से संबंधित इसके अधिग्रहण या अधियाचना के लिए कोई नोटिस या अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है और उन्हें इसका उन्नयन करने या कराने के लिए अधिकार है।
- (ii). कि उक्त जमीन से संबंधित इस जमीन या इसके किसी हिस्से पर कोई दावा, मांग, निषेधाज्ञा या संलग्नता किसी करारोपन अधिकारी, राजस्व अधिकारी या सरकार अथवा स्थायी निकायों या अधिकारियों द्वारा नहीं है।
- (iii). कि उक्त जमीन से संबंधित कोई मनोबंध या व्यवस्था नहीं चल रहा है और अगर डेवेलपर को किसी ऐसे व्यवस्था का पता चले तो डेवेलपर को यह मनोबंध रद्द करने और इसका पूरा खर्च बैंक दर पर सूद के साथ जमीन मालिक से वसूल करने का अधिकार होता।
- (iv). कि जमीन मालिक के अलावा उक्त जमीन पर और किसी का कोई अधिकार, हिस्सा या हक नहीं है और जमीन मालिक किसी बेनामी जमीन मालिक के बेनामीदार नहीं है।

27/5/2022  
Rakesh K.  
Director  
Unacademy Construction & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Rakesh K.  
Director  
Unacademy Construction & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Rakesh K.  
Director  
Unacademy Construction & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Rakesh K.  
Director  
Unacademy Construction & Services Pvt. Ltd.

(v). कि जमीन मालिक ने घोषणा की है कि उक्त जमीन पर कोई दायित्व या अवभार नहीं है और अगर उस पर कोई झूठा दावा करता है तो जमीन मालिक ऐसे दावे को अपने खर्च पर चुनौती देगे।

(vi). कि उक्त जमीन के अधिकार से संबंधित किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और कोई भी शुल्क या कर इस विलेख के लिखे जाने तक बाकी नहीं है और अगर इसके पूर्व का कोई टैक्स या शुल्क बकाया हो तो जमीन मालिक उसका भुगतान करेगे।

(vii). कि जमीन मालिक उक्त जमीन के हस्तांतरण, अंतरण के उद्देश्य से मनोबंध हो जाने के बाद प्रस्तावित इमारत में डेवेलपर सहित किसी समिति के हिस्से को सौंप देंगे और जमीन मालिक बचनबद्ध है कि वे पूर्वोक्त घोषणाओं के विरुद्ध कोई काम या कार्रवाई नहीं करेंगे।

(viii). कि जमीन मालिक को उन्नयनकृत संपत्ति में अपने हिस्से को बेचने, पट्टा पर देने अथवा निवासन करने का अधिकार होगा।

19- उचित अधिकार सहित इन प्रावधानों (presents) के अन्तर्गत डेवेलपर निर्मित भवन में कम से कम भू-तल्ला के संरचना कार्य की पूर्णता के बाद जमीन मालिक और इमारत में उनके हिस्से की पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था करते हुए डेवेलपर अपना हिस्सा बंधक रख सकते हैं बशर्ते ऐसा ऋण अथवा उधार डेवेलपर इमारत के अपने हिस्से की जमानत पर लेंगे और यह परियोजना के उन्नयन और जमीन मालिक की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार इमारत के निर्माण में लगाया जाएगा। जमीन मालिक को ऐसे खातों, उधारों और आवेदनों को जांच करने का अधिकार होगा।

20. इस उन्नयन मनोबंध की शर्तों के अनुपालन के साथ दोनों पक्षों के बीच यह स्पष्ट सहमति हुई है कि डेवेलपर इमारत कम्पलेक्स में बिक्री योग्य हिस्से को डेवेलपर उनके नामित के पक्ष में उक्त ढंग से हस्तांतरिक करने के लिए डेवेलपर सभी कदम उठाएंगे एवं सम्पूर्ण खर्च का वहन करेंगे।

21. डेवेलपर उक्त जमीन का उन्नयन "Mahadev Constech and Services Private Limited," के नाम से करेंगे और

Constech & Services Pvt. Ltd.

27/5/2022  
Director

27/5/22  
Rakesh

27/5/22  
Rakesh

27/5/22  
Rakesh

27/5/22  
Rakesh

भवन निर्माता तथा जमीन मालिक का हिस्सा सहित सम्पूर्ण इमारत का नाम "**MOTI ENCLAVE**" होगा और पाकिंग स्थान सहित सारा निर्माण खर्च केवल डेवेलपर द्वारा बहन किया जाएगा तथा केवल डेवेलपर ही सरकार, **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** एवं अन्य अधिकारियों के प्रति इस **जमीन** के उन्नयन के लिए जबाब देय होंगे तथा उन्नयन **क्रम** में अगर कोई नुकसान हो तो इसकी क्षतिपूर्ति तथा जमीन मालिक को इससे संबंधित सभी कार्यवाही, मांग, दावा, खर्च, नुकसान, दंड अथवा अन्य कार्य असफलता, विलम्ब शुल्य या अनुबंध-विच्छेद के कारण (नगर निगम या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्मित नियमों के अन्तर्गत) हुई क्षति की पूर्ति करेंगे।

22. जमीन मालिक अपनी सहमति और वचनबद्धता व्यक्त करते हैं कि वे डेवेलपर के पक्ष में इस मनोबंध की शर्तों एवं बंधेजों के अनुरूप उक्त जमीन के उन्नयन से संबंधित सभी आवश्यक कार्य करने के लिए जमीन **मालिक** की ओर से विकासक को प्राधिकृत करते हैं जो अपने हिस्से की जमीन बिक्री के निमित इकरारनामा इत्यादि निष्पादित करेंगे।

23. इस उन्नयन मनोबंध के तथा इससे संबंधित सभी जेब खर्च, शुल्क, कानूनी खर्च जिसमें **हस्तांतरण** का स्टाम्प खर्च और निबंधन खर्च शामिल है, डेवेलपर या उनके नामिनों द्वारा बहन किया जाएगा।

24. **पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार** द्वारा इमारत की योजना की स्वीकृति से छः महीने की कृपा अवधि के अन्तर्गत अगर डेवेलपर इमारत के निर्माण में असफल हो जाते हैं अथवा जमीन मालिक को बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र सुपुर्द करने में (चूंकि समय सीमा इस मनोबंध का प्रमुख अंग है) असमर्थ रहते हैं वैसे किसी दैवी कारण या नियंत्रण के बाहर प्राकृतिक विपति को छोड़कर जो इस निर्माण को प्रभावित करता है, **वैसी हालत में पूर्वोक्त निर्धारित समय सीमा** के अन्तर्गत इमारत को **पुरा न करने के** कारण डेवेलपर को (Rera) के नियमानुसार आगे की कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

25. इस मनोबंध की शर्तों के अनुसार उक्त जमीन पर प्रस्तावित इमारत में बिक्री योग्य निर्मित क्षेत्र पर अधिकार एवं हित के अतिरिक्त जमीन मालिक को परम निर्मित क्षेत्र यथा, गवाक्ष, सीढ़ी

27/5/2022

Wianadev Constech & Services Pvt. Ltd.

Rupak

Director 27/5/2022

27/5/2022

27/5/2022

27/5/2022

घर, रास्ता, लिफ्ट, पानी की टंकी, जेनरेटर कमरा, खुली जगह, वाहन पार्किंग स्थान और सभी सामूहिक क्षेत्र पर भी जमीन मालिक को अधिकार होगा।

26. डेवेलपर पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार के नियम, परिनियम और कानूनों का दृढ़ता से पालन करेंगे और सर्वदा किसी क्षति, दावा, मांग जो नियमों और कानूनों के उल्लंघन से उत्पन्न हो उससे जमीन मालिक को क्षतिपूर्ति करायेंगे।

27. इमारत की योजना में डेवलपर सभी सामान्य (Civil), बिजली, plumbing and sanitary कार्यों जिसमें भूमिगत एवं उपरी टंकी, पानी व्यवस्था, नल पम्प, गृह सेवा आदि शामिल है वे पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार की स्वीकृत योजना के अनुसार शामिल होगा।

28. उक्त इमारत या परिसर में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति या डेवेलपर पर किसी कार्य के चलते किसी व्यक्ति या प्राधिकार को देय किसी नुकसान, दावा, क्षतिपूर्ति के लिए डेवलपर जमीन मालिक को पूरी तरह क्षतिपूर्ति करेंगे और जमीन मालिक किसी भी तरह का भुगतान करने, मजदूर क्षतिपूर्ति कानून अथवा किसी अन्य कानून के अन्तर्गत किसी दुर्घटना से संबंधित मुकदमे में वचाव करने के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।

29. प्रस्तावित इमारत पी.एम.सी./सम्बंधित प्राधिकार द्वारा स्वीकृत हो रहे वास्तुशिल्प की विशिष्टियों के अनुसार निर्मित होगी।

यह की लेख्य प्लौट से संबंधित जरुरी कार्यों के लिए जमीन मालिक ही प्राधिकृत है क्योंकि अपने परिवार में कर्ता की हैसियत से वरिये सदस्य होने के नाते परिवार के हित में आवश्यक कानूनी खर्चों की पूर्ति हेतु नियमानुकूल प्राधिकृत है।

### अनुसूची-I

वह आवासीय परती जमीन जो मौजा- बैरिया, थाना- सम्पत्तचक, जिला- पटना के थाना नं- 122 (एक सौ बाईस), तौजी बिहार सरकार, खाता नं- 520/521 (पाँच सौ बीस/पाँच सौ एककीस), सर्वे प्लौट नं- 595 (पाँच सौ पनचान्वे) का अंश में एराजी- 4 कट्टा 16 धरू है, जो 15 डिसमील के समतुल्य है और जो पटना भैंशीय विकास प्राधिकार क्षेत्र के अन्दर तथा अवर निवंधन

कार्यालय फुलवारीशरीफ तथा जिला निवंधन कार्यालय पटना क्षेत्रान्तर्गत अवस्थित है जिसका वार्षिक लगान मो. 10 रूपये अलावे सेस बिहार सरकार को अंचलाधिकारी सम्पत्तचक के माध्यम से जमाबंदी संख्या-3592 पर भुगतान किया जाता है जिसका राजस्व विवरण एवं चौहद्दी निम्नवत है:-

#### भूमि का राजस्व विवरणी:-

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. जिला-            | पटना            |
| 2. राजस्व अंचल-     | सम्पत्तचक       |
| 3. हल्का-           | बैरिया कर्णपुरा |
| 4. राजस्व ग्राम     | बैरिया          |
| 5. राजस्व थाना नं.- | 122             |

#### चौहद्दी

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| उत्तर -  | 12 फीट सहायक सड़क |
| दक्षिण - | सहायक सड़क        |
| पूरब -   | हाल खरीदार        |
| पश्चिम - | जालिम सिंह        |

नोट :- उपर्युक्त सम्पत्ति वर्ष 2016-17 के न्युनतम दर पंजी के कोड नं-174, जोन-2 पर अंकित है, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य मो. 56,25,000/- (छपन लाख पचीस हजार) रूपया है।

#### अनुसूची II

बनने वाले भवन का संक्षिप्त वास्तुशास्त्रीय एवं ढांचागत विवरण।

ढांचा :- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत आर.सी.सी. फ्रेम ढांचा।

civil कार्य:- पी.एम.सी. द्वारा स्वीकृत प्रथम कोटि का सिमेट, (ए.सी.सी.) सोन बालू एवं मसाला।

परिसर्जन :- जमीन मालिक के हिस्से की सभी दीवारें पर वाल पुट्टी होगी।

दरवाजे :- मुख्य दरवाजे का पल्ला लकड़ी का होगा और बाकी दरवाजे का पल्ला प्लाई बोर्ड का होगा तथा चौखट लकड़ी का होगा।

खिड़कियाँ :- जमीन मालिक के अनुसार या लकड़ी के (सखुआ) के फ्रेम में पूर्णतः glazed खिड़कियाँ।



Wardha Engineering Consultancy & Services Pvt. Ltd.

Rajesh  
27/5/22 Director

8/5/22  
27/5/22 Director

फर्श :-

शौचालय :-

रसोई घर :-

बिजली व्यवस्था:-

लिफ्ट :-

उपर्युक्त specifications में promoters/architect द्वारा निर्णित कुछ फेर बदल संभव है। जमीन मालिक गुणवत्ता, मात्रा कम्पनी का निर्णय करेंगे।

पूर्वोक्त finishing केवल जमीन मालिक के क्षेत्र के लिए है और सभी निर्मित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा।

### अनुसूची III

जमीन मालिक के फ्लैट की खास विशेषताएँ :-

1. बैठकखाने में एक TV तथा इंटरकॉम का प्लाइट।
2. चौबीसों घंटे अपने द्यूबवेल से जुड़े सामूहिक उपरी टंकीसे पानी की व्यवस्था।
3. अतिरिक्त खर्च पर सामूहिक सेवा के लिए प्रतीक्षारत जेनरेटर।
4. बैठकखाने में एक टेलीफोन प्लाइट (कनेक्शन नहीं)
5. फ्लैट के अन्दर concealed बिजली जिसमें ताँबे का तार होगा।



जमीन मालिक के हिस्से में मार्बल लगेगा।

मुख्य शयन कक्ष से जुड़े एक शौचालय में गर्म पानी का नल, सफेद glazed टाइल्स 7' की ऊँचाई तक सभी शौचालय का साजोसामान ISI ब्रांड का उपयोग होगा। किचेन एवं बाथरूम का जमीन संगमरमर का होगा।

काला संगमरमर का कार्यकारी platform तथा स्टील का सिंक, कार्यकारी platform से 24" ऊँचा रंगीन glazed टाइल्स।

मानक बिजली सामग्री के साथ concealed पी.वी.सी. conduit wiring मुख्य शयन कक्ष में A.C. प्लाइट।

छह व्यक्तियों का भार बहन करने योग्य लिफ्ट उच्च कोटि का ISI Mark होगा।

*27/05/2022  
27/05/2022*

*RWYK  
Latajapuri  
www.rwykconstruction.com*

*27/05/2022  
27/05/2022*

*27/05/2022  
27/05/2022*

*27/05/2022  
27/05/2022*

यह कि यह करारनामा अपनी पूर्ण स्वस्थ मानसिक स्थिति में  
सोच-समझकर निम्नलिखित गवाहों के समझ लिख दिया कि समय  
पर काम आवे एवं प्रमाण रहे।

गवाहगण:- Mani Shankar Prasad

1. Mani Shankar Prasad 27/05/22

S/o Santosh Kumar

Add - Nayakda Suguna

Damoh Distt. Madhya Pradesh

मनीशंकर प्रसाद

२७/५/२०२२

रघुभूमा॒

२७/५/२०२२

सौनुकुमार - २७/५/२०२२

जमीन मालिक का हस्ताक्षर

2. मुख्यमंत्री शिवराज 27/05/22

S/O अगवाले बलदेव

AI - बलदेव अगवाले

पर्सो - शिवराज

लम्पा - मानन

...Rakesh Chotani & Services Pvt. Ltd.

Rakesh Chotani

27/5/22

Director २७/५/२०२२

विकासक का हस्ताक्षर

विक्रेता के निदेश एवं क्रेता की सहमति

पर प्रारूप तैयार किया।

“May I help You Booth”

